(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (92)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 99

Dated: 43/4/ 2018

Notification No. 04/2018-State Tax (Rate)

No. F.3(92)/Fin(Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(A.K. Singh)
Dv. Secretary VI (Finance)

Dated: 23/4/ 2018

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
- 3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

10. Guard File.

1 L Website

(A.K. Singh) Dy. Secretary VI (Finance)

[दिस्सी राजपत्र, माग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्य-1) विभाग दिल्सी सचिवालय, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं**0फा0 03(92)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डी**एस-V\/ 99

दिनांक 23/4/ 2018

अधिसूचना सं0 4/2018- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(92)/वित्त(राज0-1)/2017-18 /.- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत:, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत: विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिस्चित करते है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर राज्य कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आवंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

2. यह अधिसूचना 25, जनवरी 2018 से प्रवत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> ग्रि(्र) (⁽⁾ (ए० के० सिंह) उप-सचिव -VI (वित्र)

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- 1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
- 4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली I
- 6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
- 7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
- 9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
- 10. गार्ड फाइल I
- 11. वेबसाइट ।

ी (ऐ ^१) (ए० के० सिंह) उप-सचिव -∨I (वित्त)